अध्याय-3

वित्तीय विवरण

अध्याय-3

वित्तीय विवरण

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना सहित ठोस आंतरिक वित्तीय विवरण राज्य सरकार के कुशल तथा प्रभावी शासन को महत्वपूर्ण सहयोग देता है। इस प्रकार ऐसी अनुपालनाओं की स्थिति पर विवरण की सामयिकता तथा गुणवत्ता के साथ-साथ वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व दिशासूचकों की अनुपालना सफल शासन के गुणों में से एक है। अनुपालना एवं नियंत्रणों पर विवरण यदि प्रभावी व परिचालनात्मक है तो राज्य सरकार को अनुकूल योजना तथा निर्णय लेने सहित इसकी मूल प्रबन्धकता उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में सहयोग देता है। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व दिशासूचकों सहित राज्य सरकार की अनुपालना के विहंगावलोकन तथा स्थिति को उपलब्ध करवाता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि विशिष्ट उद्देश्य हेतु दिए गए अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्र विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से प्राप्त किए जाने चाहिए तथा सत्यापन के बाद इन्हें इनकी संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर अन्यथा जब तक निर्दिष्ट न हो, महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश को प्रेषित किए जाने चाहिए। तथापि मार्च 2012 तक ₹1,757.07 करोड़ के अनुदानों व ऋणों के सम्बन्ध में देय 25,837 उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से ₹924.60 करोड़ की कुल राशि के 9,625 उपयोगिता प्रमाणपत्र (37 *प्रतिशत*) मार्च 2012 तक लम्बित थे जिनमें से ₹1.37 करोड़ का एक उपयोगिता प्रमाणपत्र नौ वर्षों से अधिक की अवधि से लम्बित था। बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विभाग-वार ब्यौरा ***परिशिष्ट-3.1*** में दिया गया है तथा उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में अवधि-वार विलम्ब नीचे **तालिका-3.1** में सारांशित किया गया है:

तालिका-3.1
31 मार्च 2012 तक उपयोगिता प्रमाणपत्रों का अवधि-वार बकाया

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विलम्बावधि (संख्या वर्षों में)	प्रदत्त कुल अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	0 – 1	16,290	849.40	6,528	477.12
2.	1 – 3	7,683	787.73	2,407	439.13
3.	3 – 5	1,393	74.33	689	6.98
4.	5 – 7	282	26.79	--	--
5.	7 – 9	37	11.18	--	--
6.	9 व इससे ऊपर	152	7.64	1	1.37
	योग	**25,837**	**1,757.07**	**9,625**	**924.60**

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्र मुख्यतया शिक्षा विभाग (5,221 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹1.77 करोड़), ग्रामीण विकास (1,776 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹423.45 करोड़), उद्योग (785 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹21.61 करोड़), कला एवं संस्कृति (862 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹5.09 करोड़), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (703 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹98.45 करोड़), शहरी विकास (94 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹146.01 करोड़), क्रीड़ा एवं युवा सेवाएं (6 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹2.81 करोड़), पर्यटन (8 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹2.12 करोड़), सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं (9 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹2.64 करोड़), चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (24 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹30.87 करोड़) तथा पशुपालन (27 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹3.60 करोड़) से सम्बन्धित थे।

उपयोगिता प्रमाणपत्रों की अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या प्राप्तकर्त्ताओं ने अनुदानों को, जिस उद्देश्य के लिए दिया गया, प्रयुक्त कर लिया था।

इस प्रकार प्राप्तकर्त्ताओं से उपयोगिता प्रमाणपत्रों को शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु विभाग द्वारा प्रयास किये जाने चाहिए।

3.2 दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार जून 2012 तक राज्य सरकार ने ₹78.26 लाख के सरकारी धन से अंतर्ग्रस्त दुर्विनियोजन, गबन आदि के 49 मामलों को सूचित किया जिन पर अंतिम कार्रवाई लम्बित थी। लम्बित मामलों का विभाग-वार ब्यौरा तथा अवधि-वार विश्लेषण ***परिशिष्ट-3.2*** तथा इन मामलों का स्वरूप ***परिशिष्ट-3.3*** में दिया गया है। लम्बित मामलों की अवधि-रूपरेखा तथा इन परिशिष्टों से उजागर हुए प्रत्येक श्रेणी में चोरी एवं दुर्विनियोजन/हानि के लम्बित मामलों की संख्या को **तालिका-3.2** में सारांशित किया गया है।

तालिका-3.2
दुर्विनियोजन, हानियों, गबनों आदि की रूपरेखा

लम्बित मामलों की अवधि-रूपरेखा			लम्बित मामलों का स्वरूप		
श्रेणी वर्ष	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (₹ लाख)	मामलों का स्वरूप/ विशिष्टियां	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (₹ लाख)
0 – 5	6	7.63	चोरी	11	12.11
5 – 10	14	20.67			
10 – 15	9	40.49	दुर्विनियोजन/सामग्री की हानि	38	66.15
15 – 20	2	3.62			
20 – 25	5	1.28	योग	49	78.26
25 व इससे ऊपर	13	4.57	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए हानियों के मामले	2	0.62
योग	**49**	**78.26**			

विश्लेषण आगे इंगित करता है कि बकाया मामलों के कारणों का वर्गीकरण **तालिका-3.3** में सूचीबद्ध श्रेणियों में किया जा सकता था।

तालिका-3.3

दुर्विनियोजन, हानियों, गबनों आदि के बकाया मामलों के कारण

विलम्बित/बकाया लम्बित मामलों के कारण		मामलों की संख्या	*राशि (₹ लाख)*
i)	विभागीय एवं अपराधिक जांच के लिए प्रतीक्षित	15	17.86
ii)	वसूली अथवा बट्टे खाते में डालने हेतु आदेशों के लिए प्रतीक्षित	24	28.72
iii)	न्यायालय में लम्बित	4	26.61
iv)	वसूली की गई/बट्टे खाते डाले गए लेकिन लोक लेखा समिति से अंतिम निपटान के लिए प्रतीक्षित	6	5.07
	योग	**49**	**78.26**

दुर्विनियोजनों तथा हानियों से सम्बन्धित मामलों का शीघ्रता से समायोजन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र बनाए जाने तथा व्यवस्थित पद्धतियों को स्थापित करने की आवश्यकता है।

3.3 मुख्य उचन्त शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

'उचन्त शीर्षों' से ज्ञात लेखाओं के निश्चित मध्यस्थ/समायोज्य शीर्षों को प्राप्तियों और अदायगियों के लेन-देनों, जिनको उनकी प्रकृति अथवा दूसरे कारणों से सूचना की कमी के कारण लेखे के अन्तिम शीर्ष में बुक नहीं किया जा सकता है, प्रदर्शित करने हेतु सरकारी लेखे में संचालित किया जाता है। इन लेखा शीर्षों को माइनस डेबिट अथवा माइनस क्रेडिट द्वारा अन्तिम रूप से समायोजित किया जाता है जब उनके अन्तर्गत राशि को उनके सम्बद्ध अन्तिम लेखा शीर्षों को बुक की जाती है।

गत तीन वर्षों की मुख्य उचन्त शीर्षों के अंतर्गत उचन्त शेषों की स्थिति ***परिशिष्ट-3.4*** में दी गई है। वर्ष 2010-11 की तुलना में 101-वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त के अंतर्गत ₹3.51 करोड़ (डेबिट) तथा 102-उचन्त लेखा (सिविल) के अंतर्गत ₹20.21 करोड़ (डेबिट) की शुद्ध वृद्धि है। विगत वर्षों की तुलना में लघु शीर्ष 109-रिज़र्व बैंक उचन्त-मुख्यालय के अंतर्गत ₹0.65 करोड़ (क्रेडिट) की तथा 110-रिज़र्व बैंक उचन्त-केन्द्रीय लेखा कार्यालय के अंतर्गत ₹6.86 करोड़ (क्रेडिट) शुद्ध शेष की वृद्धि हुई।

यदि इन राशियों का निपटान नहीं होता है, उचन्त शीर्षों के अंतर्गत शेषों का संचय होगा तथा सरकार की प्राप्तियों और व्यय की सही स्थिति प्रदर्शित नहीं होगी। इस प्रकार उचन्त शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों का निपटान प्रबलता से किया जाना अपेक्षित होगा।

3.4 बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 का संचालन

सरकारी क्रियाकलाप के विस्तार तथा विविधता में बहुमुखी वृद्धि हुई है जिससे उपलब्ध कार्यक्रम लघु शीर्ष की संख्या से भारी मामलों में आगे निकल गये है। बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 उस व्यय को समायोजित करता है जो उपलब्ध कार्यक्रम लघु शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सका।

वर्ष 2011-12 के दौरान ₹3,610.57 करोड़ की समग्र राजस्व प्राप्तियां (कुल प्राप्तियों का 25 *प्रतिशत*) ₹ पांच करोड़ से अधिक की प्राप्ति सहित, को सात मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया **(परिशिष्ट-3.5)** जो कि सम्बन्धित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल प्राप्तियों का 58 से 100 *प्रतिशत* के मध्य विस्तारित हैं।

इसी प्रकार, मुख्य शीर्ष "2075-विविध सामान्य सेवाएं" के अंतर्गत ₹13.86 करोड़ का समग्र व्यय तथा इस ₹ पांच करोड़ से अधिक व्यय (सरकार के कार्यों का प्रतिरूपण) को सम्बन्धित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत लघु शीर्ष-800 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया जो कि कुल व्यय (₹14.14 करोड़) का 50 *प्रतिशत* से अधिक था।

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय/प्राप्तियां के अंतर्गत अधिक राशि का वर्गीकरण वित्तीय विवरण के उचित तथा सही चित्रण को प्रभावित करता है।

3.5 निष्कर्ष

यह देखा गया है कि विभिन्न संस्थाओं को दिए गए ऋण एवं अनुदान से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को प्रस्तुत करने में विलम्ब से स्पष्ट है कि सरकार के विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना असंतोषजनक थी। ₹924.60 करोड़ की राशि से अंतर्ग्रस्त एवं प्रस्तुति के लिए देय कुल 9,625 उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सरकार द्वारा निधियों की उपयोगिता पर निगरानी रखने हेतु महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को नहीं भेजा गया।

₹78.26 लाख की राशि से अंतर्ग्रस्त दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि के 49 बकाया मामलों में से ₹17.86 लाख की राशि से अंतर्ग्रस्त 15 मामलों में लंबित अंतिम कार्रवाई, विभागीय कार्यवाही तथा आपराधिक जांच शुरू नहीं की गई जो कि सरकार की ओर से उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए पहल न करने को दर्शाता है। ऐसे मामलों की उत्पत्ति को रोकने के लिए सभी संगठनों में आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्तियों (₹3,610.57 करोड़) एवं व्यय (₹13.86 करोड़) की पर्याप्त राशि को बहुप्रयोजन लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। वित्तीय विवरण में उत्कृष्ट पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अधिक राशि की प्राप्ति अथवा किए गए व्यय को लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय एवं अन्य प्राप्ति के अंतर्गत जोड़कर दिखाने के स्थान पर लेखों में पृथक रूप से दर्शाना चाहिए।

3.6 सिफारिशें

सरकार को सुनिश्चित करने पर विचार करना चाहिए:

- अनुदानग्राही संस्थाओं को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी किए गए अनुदानों के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाणपत्रों का समय पर प्रस्तुतीकरण;
- हानि और दुर्विनियोजन के सभी मामलों में शीघ्र विभागीय जांच करना एवं ऐसे मामलों को रोकने के लिए सभी संगठनों में आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करना;
- मुख्य स्कीमों के प्राप्तियों एवं व्यय को लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' तथा '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत जोड़ने के स्थान पर वित्तीय विवरण की शुद्धता।

सतीश लूम्बा

शिमला
दिनांक:

(सतीश लूम्बा)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

विनोद राय

नई दिल्ली
दिनांक:

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक